

न्यायालय— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला

भिण्ड मध्यप्रदेश

पीठासीन अधिकारी— केशव सिंह

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1057/2012

संस्थापित दिनांक 31.12.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. कन्हैयालाल पुत्र लल्लूराम माहौर उम्र—22 साल
2. लल्लूराम पुत्र नाथूराम माहौर उम्र—40साल
3. श्रीमती सावित्री पत्नि लल्लूराम उम्र—35साल
समस्त निवासीगण ग्राम गुमान पुरा पुलिस
थाना डी0पार जिला दतिया म0प्र0
4. नाथूरामदि0.9/10/14मृत
5. रामबेटी बाल न्यायालय में पेश

..... अभियुक्तगण

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 07/11/14 को घोषित किया)

1. आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप है कि आरोपीगण ने ग्राम द्वारिका पुरी मौ में फरियादिया सीमा माहौर का पति एवं उसके पति के नातेदार होते हुये उससे दहेज की मांग की और दहेज न देने पर फरियादिया सीमा को शारीरिक एवं मानसिक रूपसे प्रताडित कर उसके प्रति क्रूरता का अपराध कारित किया।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में विचारण के दौरान आरोपी नाथूराम की मृत्यु हो गई एवं फरियादिया से आरोपीगण का आपसी राजीनामा हो गया है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादियाकी शादी हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार 27/6/10 को कन्हैयालाल माहौर के साथ कस्बा मौ में सम्पन्न हुई थी। शादी में फरियादिया के पिता ने सामर्थ अनुसार दान दहेज व सोने, चांदी के जेवरात व नगद राशि दी थी। फरियादिया की शादी के 06 माह बाद जब उसकी

विदा हुई तो ससुराल में पति कन्हैयालाल, सास सावित्री, ससुर लल्लूराम, अजिया ससुर, नाथू और नंद रामबेटी ताने देने लगे कि तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया है दहेज में अपने बाप से मोटरसायकिल व 50 हजार रुपये लेकर आओ तभी तुझे अच्छे रखेंगे नंद रामबेटी मोबाईल छुड़ा लेती थी और पानी में पटक देती थी और मुझे रोटी नहीं देती थी। मकान का ताला लगाकर चली जाती थी। सभी लोग दहेज के लिये मेरी मारपीट करते थे विदा के 15 दिन बाद पति कन्हैयालाल मेरे साथ चारपाई पर सोया था रात के करीब 10 11 बजे पेशाब के रास्ता में हाथ डाल दिया जिससे मेरे पेशाब के रास्ता में खून निकल आया और मैं बेहोश हो गई। मेरे चिल्लाने पर कोई नहीं आया जब सुबह गांव वालों को मालूम पड़ा एवं अमायन के मुन्नालाल को मेरे ससुर लल्लूराम ने बुलाया था। तब मेरे पिता के घर मौ आये और घटना की जानकारी दी। पिन्नी जो चूड़ी वाले हैं मेरी ससुराल गुमानपुरा मोटरसायकिल से आये और मुझे मौ लेकर डॉक्टर बी०अर्गल से मेरा गुप्तांगों का इलाज कराया जिसका खर्चा मेरे पिता ने दिया था। फिर मैं अपने पिता के साथ मायके आ गई फिर मेरे ससुराल वालों ने पंचायत जोड़ी और कहा कि कभी दहेज नहीं मागेगे फिर मैं अपनी ससुराल चली गई तो 03.04 दिन बाद ही सभी लोग दहेज के लिये मारपीट कर प्रताड़ित करने लगे। फिर वह अपने भाई के साथ अपने पिताके यहां मायके में आ गई। जिसके बाद कई बार पंचायत हुई लेकिन आरोपीगण 50 हजार रुपये और मोटरसायकिल में दहेज की मांग करते हैं।

4. उक्त घटना की रिपोर्ट के संबंध में न्यायालय में परिवादपत्र पेश किया गया परिवादी की जांच न्यायालय द्वारा कराई गई जांच के आधार पर थाना मौ द्वारा धारा 498ए, 323 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान समस्त साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

5. प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०वि०की धारा 498ए के अंतर्गत आरोप विरचित किये जाकर आरोपीगण को सुनाये व समझाये गये तो उन्होंने आरोपित आरोप करने से इंकार किया तथा प्ली दर्ज की गई।

6. प्रकरण में फरियादी का आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा किया जाने के कारण भा०द०वि०की धारा 498ए राजीनामा योग्य न होने से उसमें विचारण यथावत जारी रहा।

7.. प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने फरियादिया सीमा से दहेज की मांग कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया?

सकारण निष्कर्ष

8. प्रकरण में अभियोजन की ओरसे अपने पक्ष समर्थन में सीमा आ0सा01, प्रेमाबाई आ0सा02 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

9. सीमा आ0सा01 के द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई है। इस साक्षी का कहना है कि उसकी शादी 04 साल पहले जून के माह में हुई थी उसकी शादी में उसके पिता ने अपनी सामर्थ के अनुसार दान दहेज दिया था। इसके बाद वह अपनी ससुराल गुमानपुरा चली गई एक बाद उसके पति के साथ लगभग 03,04 साल पहले झगडा हो गया था झगडे में गिर पडी थी जिससे उसके गुप्तांगों में चोट आई थी। सावित्री उसकी सास है रामबेटी उसकी ननंद है उसे सभी लोग अच्छे तरह से रखते थे कभी-कभा झगडा हो जाता था गुस्से में आकर अपने पति की रिपोर्ट थाने में कर दी थी। आरोपीगण ने कभी कोई दहेज नहीं मांगा साक्षी ने दहेज मांगे जाने की घटना का समर्थन न किये जाने के कारण साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने दहेज में 50 हजार रुपये और मोटरसायकिल की मांग की थी साक्षी के कथनो से दहेज मांगे जाने की घटना प्रमाणित नहीं होती है।

10. प्रेमाबाई माहौर आ0सा02 यह साक्षी फरियादी सीमा की माँ है इसका कहना है कि उसकी लडकी सीमा की शादी 04 साल पहले कन्हैयालाल के साथ हुई थी। शादी के बाद मेरी लडकी ससुराल में रही ससुराल में मेरे दामाद कन्हैयालाल ने मेरी लडकी मारपीट कर दी थी। फिर हमने दामाद को समझा दिया फिर नाथूराम, लल्लूराम, सावित्रीबाई, रामबेटी को भी बताया था इसके अलावा आरोपीगण मेरी बेटी को ठीक रखते थे। दहेज के लिये इन्होंने कभी भी मेरी बेटी को परेशान नहीं किया। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस तथ्य का समर्थन नहीं किया है कि आरोपीगण ने उसकी लडकी सीमा को दहेज के लिये प्रताडित कर मारपीट की थी। साक्षी के कथनो से घटित अपराध का समर्थन नहीं होता है।

11. प्रकरण में फरियादी सीमा व आरोपीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। जिससे विदित होता है कि फरियादी व साक्षियों ने आपसी राजीनामा से प्रभावित होकर न्यायालीन अभिलेख पर कथन दिये है साक्षियों के कथनो से घटित घटना व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रमाणित नहीं होती है।

12. प्रकरण में घटित अपराध इस प्रकार है जो घर की चार

दीवाली के अंदर घटित हुआ है जिसे प्रमाणित करने का भार फरियादिया पर था लेकिन फरियादिया के द्वारा उसके साथ घटित अपराध से इंकार किया है शेष साक्षियों के द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में फरियादी व साक्षियों के कथनों से अभियोजन घटनाक्रम प्रमाणित नहीं होता है।

13. प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित आरोप भा0द0वि0की धारा 498ए के पूर्णतः अप्रमाणित पाये गये। अतः आरोपीगण को उक्त आरोपित आरोप से दोषमुक्त किया जाता है आरोपीगण के जमानत मुचलके भारहीन होने से उन्मोचित किये जाते हैं।

14. प्रकरण में निराकरण हेतु मुददेमाल नहीं है।

15. प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपील/याचिका माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष दायर होती है और अपीलीय न्यायालय आरोपी को आहूत करता है तो इस संबंध में आरोपी की ओर से धारा 437ए के प्रावधान के तहत 10 हजार रुपये की सक्षम जमानत व इतनी ही राशि का बंधपत्र लिया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टाईप किया

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद
जिला भिण्ड

हस्ता0सही
जे0एम0एफ0सी0गोहद
जिला भिण्ड